निगरानी / टी.ए./ 6060/ 2004 / जिला सीकर
मनसुखी बनाम मूलचंद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
24.4.2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–12–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रार्थीया वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखंड अधिकारी सीकर के यहां बाबत निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी पेश किया। न्यायालय उपखंड अधिकारी सीकर ने उभय पक्ष को सुनकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 अपने निर्णय दिनांक 11–2–03 द्वारा स्वीकार कर अप्रार्थी सं.1 को प्रार्थीया के हक हिस्से में आई भूमि के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप करने से बाज रहने हेतु पाबंद कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के यहां पेश की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 3–12–04 द्वारा अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का आदेश दिनांक 11–2–03 निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि परीक्षण न्यायालय ने दावे में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा साबित करने पर अप्रार्थी सं.1 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया था। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से अपील को स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करने का मुख्य आधार राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी खातेदार के रूप में दर्ज होना माना है, जबकि प्रार्थीया द्वारा उक्त राजस्व रिकार्ड को ही चुनौती दी गई है। प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने अधिकारों को उसके ससुर एवं चुन्नीलाल के द्वारा धारति भूमि में उसका हक व अधिकार उत्तराधिकार के आधार पर होने से वाद प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थीया ने हाल राजस्व रिकार्ड के साथ पूर्व का राजस्व रिकार्ड भी प्रस्तुत किया था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी सं.1 को अभिलेख के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया था।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अप्रार्थी यह स्पष्ट नहीं कर पाये कि किस प्रकार स्व0 चुन्नीलाल का पुत्र मूलचंद अकेला वादग्रस्त आराजी का खातेदार दर्ज हो गया। उनका यह भी तर्क है कि अप्रार्थी सं.1 द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था उक्त प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी ने निर्णित किये बिना विचारण न्यायालय का आदेश नियमों से परे खारिज कर दिया। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा होने से वह उस पर काबिजकाश्त चली आ रही है जिसकी ताईद मौका कमिश्नर की रिपोर्ट से होती है। अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी सं.1 को रिकार्डेड खातेदार मानकर मौका रिपोर्ट को नजरअदांज किया। राजस्व रिकार्ड के आधार पर अप्रार्थी विवादित आराजी को खुर्दबुर्द करना चाहता है। विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की थी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में थी। वाद की विषय वस्तु को वाद के निस्तारण तक सुरक्षित रखने का दायित्व पक्षकारों के साथ न्यायालय का भी है। विवादित आराजी के खुर्द बुर्द होने से वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। अपीलीय न्यायालय को परीक्षण न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। 4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रतिउत्तर बहस में कहा कि अप्रार्थी विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अप्रार्थी सं.1 ने विवादित आराजी मूल खातेदार से क्रय की है। परीक्षण न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुये प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की थी जिसे अपीलीय न्यायालय ने सही निरस्त किया है। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी खारिज की जावे। 5. पत्रावली का अवलोकन किया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी वादी द्वारा राजस्व वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखंड अधिकारी सीकर ने उभय पक्ष को सुनकर निर्णय दिनांक 11–2–03 द्वारा स्वीकार कर अप्रार्थी को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया था जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ने निगरानीधीन आदेश से स्वीकार की है जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की है। अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का मुख्य आधार अप्रार्थी सं.1 का विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज होना तथा लम्बे समय से काबिज काश्त होना माना है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के नाम दर्ज है तथा पूर्व जमाबंदी संवत 2016 से लेकर 2029 तक प्रार्थीया के ससुर चुन्नीलाल के नाम दर्ज थी, जो जरिये नामांतरकरण सं. 74 से चुन्नीलाल के पुत्र मूलचंद के नाम दर्ज हो गई तथा मूलचंद ने इस भूमि का विक्रय अप्रार्थी सं.1 के हक में कर दिया, जिसका नामांतरकरण सं.90 दर्ज किया गया। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सम्यक सामग्री से विवादित आराजी को मौरूसी मानते हुये प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा होने के आधार पर मूलचंद पुत्र चुन्नीलाल को अप्रार्थी सं.1 को सम्पूर्ण भूमि का बैचान का अधिकारी नहीं माना। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में माना। मूल वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उभय पक्ष के हक हकूक न्यायिक प्रक्रिया के विनिश्चयन के पश्चात् तय होने है तथा मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजी को खुर्दबुर्द होने से संरक्षित करना न्यायालय का दायित्व है। विवादित आराजी के खुर्दबुर्द अथवा अन्य बैचान होने से वाद बहुलता बढती है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन व विश्लेषण करते हुये अप्रार्थीगण वादीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार करते हुये अप्रार्थी सं.1 को प्रार्थीया के हक हिस्से में आई भूमि के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप करने से ताफैसला वाद पाबंद किया। किंतु अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त करने में स्पष्टतः तात्विक त्रुटि कारित की है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। 7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ने अप्रार्थी सं.1 की अपील स्वीकार कर उपखंड अधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–2–03 को निरस्त करने में स्पष्ट तात्विक त्रुटि कारित की है, जो समर्थनीय नहीं होकर निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का आलोच्य निर्णय निरस्त योग्य है। 8. परिणामतः हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–12–04 निरस्त किया जाता है तथा उपखंड अधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–2–03 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	